



सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttar Pradesh

### e-Stamp

Certificate No.  
 Certificate Issued Date  
 Account Reference  
 Unique Doc. Reference  
 Purchased by  
 Description of Document  
 Property Description  
 Consideration Price (Rs.)  
 First Party  
 Second Party  
 Stamp Duty Paid By  
 Stamp Duty Amount(Rs.)


: IN-UP07318537956844S  
 : 13-Feb-2020 02:35 PM  
 : NONACC (BK)/ upbobbk02/ VRINDAWAN YOGNA/ UP-LKN  
 : SUBIN-UPUPBOBBK0208704428757469S  
 : ABHISHEK SRIVASTAVA SON OF S C SRIVASTAVA  
 : Article 23 Conveyance  
 : FLAT NO:HM/B2-1203/2BHK/12 FLOOR, HIMALAYA ENCLAVE,  
 : SECTOR-17 AND 18, VRINDAVAN YOJNA-4,LUCKNOW  
 : 32,48,198  
 : (Thirty Two Lakh Forty Eight Thousand One Hundred And Ninety  
 : Eight only)  
 : UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW  
 : ABHISHEK SRIVASTAVA SON OF S C SRIVASTAVA  
 : ABHISHEK SRIVASTAVA SON OF S C SRIVASTAVA  
 : 2,28,100  
 : (Two Lakh Twenty Eight Thousand One Hundred only)



Please write or type below this line



अकेला



विक्रीता



SR 0004950830

**Statutory Alert:**

- The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "[www.singlestamp.com](http://www.singlestamp.com)". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the user of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Received 7/8 page title deed with Mat (separate page)  
 7/2 page e stamp paper  
 1 page title deed registration information  
 37. 27. 37. 37. R. Singh  
 29/4/23 B. U. Singh, PF No. - 538490  
 CM 17th Court Branch  
 STATE BANK OF INDIA  
 3879  
 3879

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

सिलसिले का नम्बर	बही	खण्ड	पृष्ठ	रजिस्ट्री करण की तारीख	प्रस्तुतकर्ता निष्पादनकर्ता नाम व पता	पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ़
1	2	3	4	5	6	
					<p>क्रेता / प्रस्तुतकर्ता</p> <p>श्री अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र श्री एस०सी० श्रीवास्तव निवासी—द्वारा श्री एस०सी० श्रीवास्तव, म०न०-५७७-३ गंगा नगर, पोस्ट ३५१००५ मन्दिर, गारेखपुर-२८५००५</p>  <p><i>[Signature]</i></p>	
					<p>विक्रेता</p> <p>सम्पत्ति प्रबन्धक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ</p>  <p><i>[Signature]</i></p>	
					<p>स्थान अध्यक्ष मान्दूल कारिर २३४/४५, नदरा कॉट न२१६, अन्धेपुरा, लखनऊ म०६३५ ७७५२८३१३६०</p> 	
					<p>योजना सहायक उ०प्र० आवास एवं विकास पर्षद लखनऊ</p>  <p><i>[Signature]</i></p>	

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय  
प्रथम तल आफिस काम्पलेक्स सेक्टर-९  
वृन्दावन योजना लखनऊ।

भारतीय मानक व्यूरो

IS 15700



पत्रांक ११७

/सं०प्र० वृन्दावन/

दिनांक १३-०२-२०

सेवा मे,

श्री अभिषेक श्रीवास्तव  
पुत्र श्री एस०सी० श्रीवास्तव  
द्वारा श्री एस०सी० श्रीवास्तव, म०न०-५७७-जे, गंगा नगर, पोस्ट अरोग्य मन्दिर,  
गारेखपुर-२७३००३

विषय:-हिमालय एन्कलेव के 2BHK के फ्लैट सं० HM/B2-1203 के विक्रय विलेख  
के पंजीयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपके पक्ष मे आंवटित फ्लैट सं० HM/B2-1203 का विक्रय विलेख रु० २२९३००.०० के स्टाम्प पेपर निष्पादित कर दिया गया है जो मूलरूप मे एवं एक छायाप्रति के साथ अन्य सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर इस आशय से दिया/भेजा जा रहा है कि कृपया 25 दिनों के अन्दर सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय मे उपस्थित होकर विलेख पंजीयन कराकर विलेख की एक प्रमाणित प्रति तीन दिवसों के अन्दर इस कार्यालय मे प्रस्तुत करे ताकि फ्लैट का कब्जा पत्र भौतिक कब्जे हेतु निर्गत किया जा सके जिससे परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(केशव शर्मा)  
सम्पत्ति प्रबन्धक


पृष्ठ सं०

/उक्त/

तददिनांक


प्रतिलिपि:-रजिस्ट्रार कार्यालय, सरोजनी नगर, लखनऊ को उक्त सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सम्पत्ति प्रबन्धक





*(Handwritten Signature)*



6861 0842 0836

आधार — आम आदमी का अधिकार

*cancelings*



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता: S/O अब्दुल कादिर बक्शा,  
२३८/४४, कटरा अबू तुराब खाँ, नक्खास  
यहियागंज, लखनऊ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश,  
226003

Address: S/O Abdul Qadir Bux,  
238/44, KATRA ABU TURAB  
KHAN, NAKKHAS YAHİYAGANJ,  
Lucknow, Lucknow, Uttar  
Pradesh, 226003

1947  
1800 180 1947

help@uidai.gov.in

www.  
www.uidai.gov.in

P.O. Box No.1947,  
Bengaluru-560 001

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

7



प्रत्येक में योगदान तिथि	06.12.1963
विवरणीयतालि तिथि	31.05.2020
उक्त तारीख	प. अधिकारी
अधिकारी का	भी-13/7916, राजाजीपुरा, लखनऊ
स्थान	सी-13/7916, राजाजीपुरा, लखनऊ
दूरध्वाय संख्या	9888704374
पैमाना	

8795811529  
21/07/19



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



### विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक १३ माह ०२ वर्ष २०२१ की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे इतद पश्चात "परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती है और सम्मिलित हैं।

क्रेता

क्रमशः 2 पर

विक्रेता

क्रमांक

2292

राज्य विभागीय दिनी 13-5-2-702

राज्यपद्धति क्रय करने का प्रदान

स्थानपद्धति का नाम व पूरा पता

स्थानपद्धति की धनराशि

श्रीकान्त शेखल (राज्यपद्धति)  
आठ०-७४ लखनऊ का अवधि-३१.०३.  
मिशन भवन-लखनऊ

प्रदान करने वाले का नाम व पूरा पता

कृष्ण राम

राम

HEDCORDEUDIAUREATA ALAHABAD



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(2)

एक पक्ष और श्री अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र श्री एस०सी० श्रीवास्तव निवासी—  
द्वारा श्री एस०सी० श्रीवास्तव, म०न०-५७७-जे, गंगा नगर, पोस्ट अरोग्य मन्दिर,  
गारेखपुर-२७३००३ जिसके एतदपश्चात पंजीकृत इच्छुक क्रेता कहा गया है और जिस पद का  
तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता,  
उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के  
बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि—

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ  
जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या-४ नामक मुहल्ले के सेक्टर-१८ मे निर्मित हिमालय एन्क्लेव  
2BHK का फ्लैट संख्या-HM/B2-1203 का कुल मूल्य है और चूंकि उक्त परिषद ने रु०  
3248198.00 (रु० बल्लीस लाख अड़तालीस हजार एक सौ अट्ठान्नबे मात्र) जिसका  
आधा रु० 1624099.00 (रु० सोलह लाख चौबीस हजार निन्यान्नबे मात्र) होता है, के  
प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या HM/B2-1203) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप  
इस विलेख से संलग्न अनुसूची 'क' में उल्लिखित छे

क्रेता

विक्रेता

क्रमशः ३ पर

मा. सरलदी 2293  
दाम्प विक्रेता का नाम । ३२२७५२०

दाम्प क्रय करने का प्रतोक्ति

दाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

दाम्प की धनराशि

श्रीकान्त लाल (दाम्प विक्रेता)  
प्राप्ति-७९ लखनऊ की अवधि-३१.०३.२१  
लखनऊ भवन-लखनऊ

ग्राहक की जाति व वयस्सा

जीवालक. २२२




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FH 690570

(3)

(जिसे एतदपश्चात् उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन क्य करने के लिए सहमत है अतएव रु० 3248198.00 (रु० बत्तीस लाख अड़तालीस हजार एक सौ अट्ठान्नबे मात्र) की धनराशि के प्रति फलस्वरूप एतदद्वारा उक्त सम्पत्ति अर्थात् फ्लैट संख्या HM/B2-1203 केता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्य और अन्तरित करती है:-

(1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतदद्वारा विक्य किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।



क्रेता



विक्रेता

कमश: 4 पर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FH 690571

14 JAN 2000  
गोपनीय दस्तावेज़

(4)

- (2) एतद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।
- (3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक केता को प्रदत्त किया जाना है।
- (4) इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

*Palay*

क्रेता

कमश: 5 पर

*X*

विक्रेता

2295  
नम सरुद्या  
स्टाम्प विक्रय की तिथि १३-०२-१०३०  
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन  
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि

श्रीकान्त एवं स्टाम्प विक्रयी  
लाइसेंस की अवधि - 31.03.  
निवास भवन - लखनऊ

HIGH COURT OF JUDICATURE AT LAKHABAD

(5)

(5) यदि केता एतद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्ताता, किन्हीं दावों या मांगों के कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद केता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि/क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।

(6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों/पलौटों और मकानों के इच्छुक केताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन कर्य किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक केता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और केता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) केता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

(7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और केता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ कर्य किया है कि केता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा। और यह कि उक्त केता उक्त परिषद की कालोनी में सड़कों, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रतिकिसी अंशदान के लिए भी जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक केता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या- HM/B2-1203) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 13.5% की दर से ब्याज सहित पंजीकृत केता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

(8) केता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा/करेगी और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।

(9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक केता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या- HM/B2-1203 स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि निर्माण या उसके बगल में स्थित भूमि/निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जाये।

(10) केता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे।

(11) क्रेता को फ्लेट्स का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु रु० 1156.00 प्रति माह "कार्पस फण्ड" में जमा करना होगा। हिमालय एन्कलेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से 2 वर्ष के बाद मेन्टीनेन्स का कार्य आवंटियों की समिति को कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित हस्तगत करा दिया जायेगा। तत्पश्चात समिति द्वारा उक्त एन्कलेव को अपने श्रोतों से करना होगा। निर्धारित रख-रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 2 वर्ष तक प्रति माह क्रेता को देना होगा। आवासीय समिति का सदस्य प्रत्येक क्रेता को बनना अनिवार्य होगा।


क्रेता

विक्रेता

क्रमशः 6 पर

(6)

- (12) सुपर एरिया पर ₹० 1.10 प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर से सामान्य सेवाओं जैसे कैम्पस लाईट, सेक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्युनिटी सेंटर की देख-रेख, सफाई विद्युत बिल आदि के रख-रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट्स ओनर को प्रतिमाह अतिरिक्त देना होगा। जीना, बरामदा, पार्किंग स्थान, पार्क, सुरक्षा कर्मचारी, माली, जमादार आदि का वेतन एवं सीवर सिस्टम का रख-रखाव (एस०टी०पी०) एवं अन्य कामन नेचर की सेवाएँ आदि शामिल होगी।
- (13) नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगायें गये समस्त कर शुल्क गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार क्रेता को अदा करना होगा।
- (14) योजना आवासीय योजना है अतः फ्लैट्स का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। क्रेता को फ्लैट्स में किसी भी प्रकार का निर्माण परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं विक्रय-विलेख को निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के नियम, आदेश व निर्णय क्रेता पर प्रभावी होंगे।
- (15) सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी क्रेता विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- (16) क्रेता द्वारा विद्युत विभाग से निर्धारित वॉचिट औपचारिकतायें पूर्ण करके विद्युत कनेक्शन लिया जाना होगा। उक्त के अतिरिक्त दूरभाष एवं अन्य सर्विस कनेक्शन स्वयं के व्यय से लिया जा सकता है। परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे हिमालय एन्क्लेव के वाह्य एवं स्थायी स्ट्रेक्चर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े एवं इस हेतु परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
- (17) प्रत्येक क्रेता को फ्लैट के वाह्य मेन्टीनेंस, मरम्मत, पेन्टिंग, ट्यूबवेल मरम्मत, कामन एरिया की लाईट की मरम्मत एवं बदलाव सीवर, नाली, एस०टी०पी० एवं वाह्य विद्युतीकरण आदि के सम्बन्ध में जो व्यय आयेगा, वह क्रेताओं के मध्य विभाजित एवं देय होगा।
- (18) आवंटित क्षेत्रफल जैसे पार्किंग का स्थान स्वतन्त्र एरिया एशोसिएशन को हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इस पर कोई भी निर्माण एवं परिवर्तन बिना विक्रेता परिषद की अनुमति के मान्य नहीं होगा।
- (19) क्लब, ओपेन एरिया, पार्किंग आदि कामन एरिया उ०प्र० ३०प्र० २०१० (परमोशन आफ कास्ट्रेक्शन ओनर शिप एण्ड मेन्टीनेन्स एक्ट-२०१०) के अनुसार परिषद का रहेगा।
- (20) फ्लैट्स के हस्तान्तरित क्षेत्रफल में फ्लैट्स की चारों दिवारों से लगे हुए फ्लैट में दिवारों का आधा भाग फ्लैट में शामिल होगा।
- (21) पुस्तिका में असमावेशित रहगयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- (22) किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।
- (23) क्रेता द्वारा फ्लैट के विरुद्ध किये गये भुगतान का विवरण अनुसूची-क में है।



क्रेता



विक्रेता

क्रमशः ७ पर

(7)

## अनुसूची "क"

प्रतिफल की धनराशि रूपये में  
 मूल्य रु० 3273201.00  
 स्टाम्प पेपर रु० 229300.00

उक्त फ्लैट का कुल मूल्य रु० 3248198.00 ब्याज/दण्ड ब्याज रु० 25003.00 कुल रु० 3273201.00 आवंटी द्वारा परिषद को भुगतान किया गया है।

नोट:-(1) शासनादेश संविकानि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 एवं शासनादेश संख्या- 772/स्टाम्प लिपिक-2015 दिनांक 15.12.2015 के अन्तर्गत 7 प्रतिशत की दर से इस्टम्प प्रमाण पत्र नं० IN-UP07318537956844S, DATE:-13/02/2020 रु० 228100.00 के इस्टम्प पेपर एवं रु० 1200.00 के स्टाम्प पेपर कुल स्टाम्प रु० 229300.00 पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

नोट:-(2) आवंटित फ्लैट संख्या HM/B2-1203 जो निर्गत पत्र सं० 880 दिनांक 22/02/2019 छायाप्रति संलग्न के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग-7, आदेश संख्या-13/संख्या-क०नि०-7-440/11-2015-700(111) /13 लखनऊ दिनांक 30, मार्च, 2015 के शासनादेश अनुसार विक्रय विलेख एक वर्ष के अन्दर निष्पादित किया जा रहा है।

वृन्दावन योजना संख्या-4 नामक मुहल्ले के सेक्टर-सेक्टर-18  
 मे निर्मित हिमालय एन्क्लेव का फ्लैट संख्या--HM/B2-1203

## विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

1-	भूमि का प्रकार	-	फ्लैट्स
2-	मोहल्ला/ग्राम	-	इब्राहिमपुर वार्ड, लखनऊ
3-	ब्लाक	-	B2
4-	प्रकार	-	2BHK
5-	सम्पत्ति का विवरण	-	फ्लैट्स संख्या:- HM/B2-1203
6-	फ्लैट का तल	-	12 th Floor
7-	फ्लैट्स का निर्मित क्षेत्रफल	-	80.56 वर्ग मीटर
8-	फ्लैट्स का सुपर एरिया	-	97.64 वर्ग मीटर
9-	फ्लैट्स का प्रकार	-	आवासीय फ्लैट्स
10-	कुल क्षेत्रफल	-	97.64 वर्ग मीटर
11-	कुल कर्वड क्षेत्रफल	-	80.56 वर्ग मीटर
12-	स्टेट्स फिनिश्ड	-	फिनिश्ड
13-	प्रतिफल की धनराशि	-	रु० 3273201.00
14-	मूल्य	-	रु० 3248198.00
15-	बाउन्ड्री आफ दी फ्लैट्स संख्या		
1-	उत्तर- FLAT NO. 1202		
2-	दक्षिण-OPEN TO SKY		
3-	पूर्व-OPEN TO SKY		
4-	पश्चिम-FLAT NO. 1204		

क्रेता

विक्रेता

क्रमशः 8 पर

आवेदन सं: 202001041006401

विक्रय पत्र

बही सं: 1

रजिस्ट्रेशन सं: 4516

वर्ष: 2020

प्रतिफल- 3273201 स्टाम्प शुल्क- 228100 बाजारी मूल्य - 3273201 पंजीकरण शुल्क - 32740 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 32800

श्री अभिषेक श्रीवास्तव ,  
पुत्र श्री एस० सी० श्रीवास्तव  
व्यवसाय : नौकरी  
निवासी: द्वारा श्री एस०सी० श्रीवास्तव म०नं०-५७७-जे, गंगा नगर, प०० अरोग्य मन्दिर,  
गोरखपुर-२७३००३


*Mukesh*



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 14/02/2020 एवं 12:14:40 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हाथ

निमिल सिंह  
उप निबंधक : माराजनीन  
लखनऊ  
14/02/2020  
ओम प्रतीप सिंह  
निबंधक लिपिक



(8)

## 'अनुसूची—ख

(क्रेता द्वारा किये गये भुगतान का विवरण)

जिसके साक्ष्य में श्री हरी मोहन, सम्पत्ति प्रबन्धक ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और श्री अभिषेक श्रीवास्तव आशयिता HM/B2-1203 क्रेता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्वारा अपने—अपने हस्ताक्षर कियें।

क्रेता के हस्ताक्षर



क्रेता

परिषद की ओर से एवं उसके लिए  
सक्षम अधिकारी

विक्रेता

1—साक्षी:—ह० ८.५.८८

1—साक्षी:—ह०


नाम:— ८.५.८८

नाम:—


पता:— १२६/१५, इलायकाम

पता:—


2—साक्षी:—ह०




2—साक्षी:—ह०



नाम:— रमेश अड्डा

नाम:— योजना सहायक  
उप्रो आवास एवं विकास परिषद्  
पता:— लखनऊ

पता:— २३८/५५ कट्टा



आवेदन सं.: 202001041006401

बही सं.: 1

रजिस्ट्रेशन सं.: 4516


वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन  
श्री ३०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा हरि मोहन, सम्पत्ति  
प्रबन्धक

ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिए उनकी उपस्थिति और  
हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं हैं और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए  
स्वीकार किया गया।



क्रेता: 1

श्री अभिषेक श्रीवास्तव, पुत्र श्री एस० सौ० श्रीवास्तव

निवासी: द्वारा श्री एस०सौ० श्रीवास्तव मध्यन०-५७७-जे, गंगा नगर,  
पो० अरोग्य मन्दिर, गोरखपुर-२८३००३

व्यवसाय: नौकरी

*(Signature)*



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री ख्वाजा महम्मद रसूल श्री स्व० अब्दुल करीम

निवासी: 238/44 काट्टा अबुतुरंग खां, यहियांगंज, चौक, लखनऊ

व्यवसाय: सेवानिवृत

पहचानकर्ता: 2

*(Signature)*



श्री मोहम्मद एखलाक योजना सहायक, पुत्र श्री स्व० सरफराज अली

निवासी: ३०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ

व्यवसाय: नौकरी

*३०३१८८/८८*



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए  
हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


टिप्पणी:

निमिल सिंह  
उप निबंधक : सराजनीनगर  
लखनऊ  
ओम प्रताप सिंह


**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER**

**CONSTRUCTION DIVISION-19,**  
U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD,  
VRINDAVAN YOJNA- LUCKNOW.

**SITE PLAN OF HIMALAYA ENCLAVE PHASE-III,  
SECTOR-17 & 18, VRINDAVAN YOJNA NO.-4, LUCKNOW**



(22)



**KEY PLAN**

Name of Allottee - .....  
Block No. **B2 (2BHK)**  
Flat No. **1203 12th FLOOR**  
Builtup Area ..... **80'56 SAM**  
Super Area ..... **97.64 SAM**

**DIRECTIONS**


North ..FLAT NO-1202  
South...OPEN TO SKY  
East ...OPEN TO SKY  
West ...FLAT ND-1204



c.s.   
**Chhat** 

A.E.

  
**J.V.**

  
**D.M.**


**क्रेताविक्रेता**

आवेदन सं.: 202001041006401

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3866 के पृष्ठ 217 से 236 तक क्रमांक 4516 पर  
दिनांक 14/02/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्ष

निम्नलिखित  
उप निबंधक सराजनीनगर  
लखनऊ  
14/02/2020



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD